13

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक– /2013 R-1129-III/13

1. बलची पुत्र भूरा चमार
2. बाबू पुत्र बलची चमार
3. कल्याण पुत्र बादामी खंगार
4. रम्मू पुत्र फेरन लोधी
5. बाबू पुत्र गोकला चमार,

समस्त निवासी–ग्राम सजाई तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

–––आवेदकगण

बनाम

राजकुमार पुत्र पन्नालाल रघुवंशी, निवासी–ग्राम सजाई तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

––अनावेदकगण

श्री अमित भार्गव द्वारा आज दि 21.3.13 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अमित भार्गव (अधि०)

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना कोलारस, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक–31/2007–08/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 02/03/2013 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य–</u>

1. यह कि, ग्राम सजाई में स्थित सर्वे क्रमांक–1799 रकवा 3.73 हे. पर आवेदकगण भूमिहीन व्यक्तियों का दिनांक सन् 1983–84 के पूर्व से काश्त करते हुये कब्जा दखल चला आ रहा था।

rd-1com-3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1129-तीन/13 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर**	